आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

30.06.14

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 119/13–14

रामकृत मोची वनाम् रामनारायण सिंह एवं अन्य

आदेश

आवेदक रामकृत मोची पिता श्याम लाल मोची निवासी ग्राम पुराण थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर आवेदक के अधिकार का प्रख्यापन एवं नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम पुराण, थाना नं० 198 अंचल वो थाना करपी,जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
215	1639	1.22 एकड़	उत्तर–रामनारायण सिंह, दक्षिण–रास्ता, पूरब – यमुना सिंह, पश्चिम–रामपति पासवान

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण को उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी 1, रामनारायण सिंह वो विपक्षी 3 हजारी पासवान उपस्थित हुए। विपक्षी 2 गणेश सिंह को अनुसेवी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। विपक्षी 1 एवं 2 आपति दाखिल नही किये और ना ही सुनवाई में हिस्सा लिया। आवेदक एवं विपक्षी 3 की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) विवादित भूमि आवेदक को बंदोबस्ती, वाद संख्या 02/86–87 से प्राप्त है जिसका राजस्व रसीद आवेदक के नाम कट रहा है और बंदोबस्ती द्वारा प्राप्ति की तिथि से ही आवेदक का दखल कब्जा रहा है।

(2) प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 द्वारा वादी की भूमि का सरकार द्वारा कराया गया पीलरींग वो मेड़ को भी क्षतिग्रस्त किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह कहते हुए वादी की भूमि का अंश भूमि कब्जा करने का प्रयास किया गया कि भू–दान द्वारा प्राप्त यह भूमि मेरी है।

(3) प्रश्नगत् खाता प्लॉट की भूमि का कुल रकवा काफी है जिसमें वादी के भूमि को बंदोबस्ती उपरान्त अंचल अमीन द्वारा संबंधित पदाधिकारियों की देख रेख में मापी उपरान्त पीलरींग कराते हुए वादी को 1.22 डी० उक्त भूमि पर दखल कब्जा दिलाया गया है। वादी के भूमि के दक्षिण तरफ लगभग 400 कड़ी के बाद उक्त खाता प्लॉट की 18 कट्ठा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 दखल कब्जा में है।

(4) प्रतिवादी हजारी पासवान भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा प्राप्त अपने 18 कट्ठा भूमि का चौहद्दी अपने आपति पत्र में उत्तर–फिरंगी मोची, दक्षिण–यमुना सिंह, पूरब–यमुना सिंह,पश्चिम–रामपति पासवान अंकित किये है जो तथाकथित चौहद्दी है जबकि भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र में खाता संख्या 215 प्लॉट संख्या 1639 रकवा 18 कट्ठा उत्तर–परीखा सिंह, दक्षिण–बिहार सरकार पूरब–अपठनीय पश्चिम–अपठनीय अंकित है जिससे बिलकूल स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी हजारी पासवान तथाकथित अपने दादा लालजी दुसाध, जो निःसंतान स्वर्गवास कर

गये, की 18 कट्ठा भूमि पर शांतिपूर्वक दखल काबिज तो है ही साथ ही वादी की 1.22 डी० भूमि में भी लगभग 10 कट्ठा भूमि बलपूर्वक कब्जा कर लिये है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे माँगी गयी अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) प्रश्नगत् खाता प्लॉट का रकवा काफी है जबकि वादी के तथाकथित बंदोबस्ती पर्चा में चौहद्दी ही वर्णित नहीं है तथा आज तक स्थल पर कभी भी वादी का कब्जा नही रहा है।

(2) वादी द्वारा वाद अर्जी में सीमा विवाद का उल्लेख किया गया है जबकि चौहद्दी में किसी तरफ प्रतिवादी का नाम वर्णित नही है।

(3) खाता 215 प्लॉट 1639 रकवा 18 कट्ठा भूमि प्रतिवादी हजारी पासवान के दादा स्व० लालजी दुसाध को विगत 1955 वर्ष भू–दान यज्ञ कमिटी द्वारा भूमि प्राप्त हुआ तथा तत्समय से प्रतिवादी अपने दादा के जीवनकाल से शांतिपूर्वक दखल काबिज है तथा उक्त भूमि का डिमाण्ड भी प्रतिवादी के दादा के नाम से कायम है।

(4) प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी हजारी पासवान के द्वारा अपनी भूमि में सरसों का फसल लगाया गया है।

(5) प्रतिवादी को अठारह कट्ठा भूमि के अलावा भूमि से कोई सरोकार नही है।

(6) जब वादी के तथाकथित बंदोबस्त भूमि का पर्चा में चौहद्दी ही वर्णित नही है तो बिना चौहद्दी के किसी भी भूमि को चिन्हित नही किया जा सकता है क्योंकि वादी के तथाकथित खाता प्लॉट का रकवा काफी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

दिनांक 17.06.14 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं एवं उभय पक्षों के समक्ष मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। विवादित भूमि पर विपक्षी हजारी पासवान का कब्जा पाया। इसके अलावा उक्त खाता प्लॉट की किसी अन्य भूमि पर हजारी पासवान का कब्जा नही पाया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना,स्थल जॉच एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा बंदोबस्ती वाद संख्या 02/86–87,परवाना नं० 9 से प्राप्त भूमि के आधार पर किया है। उक्त पर्चा में चौहद्दी अंकित नही है और साथ ही आवेदक का कब्जा भी नही है। दुसरी ओर विपक्षी ने उक्त भूमि पर दावा भू–दान यज्ञ कमिटी से 1955 में प्राप्त पर्चा के आधार पर किया है जो उनके दादा को प्राप्त है और लगातार दखल कब्जा में है। स्थल जॉच में भी विवादित भूमि पर विपक्षी हजारी पासवान का कब्जा पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के दावा को स्वीकृत नही किया जा सकता है और वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

30.06

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

30.06

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।